संख्या–1895/सत्तर–1–2021
16(18)/2018

प्रेषक,

ब्रह्मदेव,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग–1 लखनऊ : दिनांक 17 नवम्बर, 2021

विषयः– मा० लोक लेखा समिति की बैठक दिनांक 12–01–2021 में प्रोटोकॉल का पालन किये जाने हेतु दिये गये निर्देश के संबंध में।

महोदय,

विधान सभा की मा० लोक लेखा समिति की बैठक दिनांक 12–01–2021 में यह निर्देश दिये गये कि विश्वविद्यालय द्वारा प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जाता है, यह गंभीर बात है। जो सदस्य वहाँ नामित हैं, वह विश्वविद्यालय जाते हैं। अगर उसे अपेक्षित सम्मान नहीं दिया जाता है, तो यह तकलीफदेय है। भविष्य में ध्यान रखें और ऐसी शिकायत का अवसर किसी को न मिले।

2– उपर्युक्त के संदर्भ में मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के संलग्न पत्र संख्या–6/2021/1365/90–सं०शि०प०का०/2021–02(सं०शि०)/2015, दिनांक 11 नवम्बर, 2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें यह निर्देश प्रेषित किया गया है कि विभाग के अधिकारीगण/कर्मचारीगण प्रत्येक दशा में मा० संसद सदस्य एवं राज्य विधान मण्डल के मा० सदस्यों के प्रति शिष्टाचार/अनुमन्य प्रोटोकॉल एवं सौजन्य प्रदर्शन का अनुपालन सुनिश्चित करेगें तथा अपनी तैनाती के जनपद के संसदीय/विधान सभा क्षेत्र के सभी मा० संसद सदस्य, लोक सभा/राज्य सभा एवं राज्य विधान मण्डल के मा० सदस्यगण के फोन नं० अपने कार्यालय/मोबाईल में सेव (Save) करेंगे तथा मा० जनप्रतिनिधियों के फोन आने पर तत्काल कॉल रिसीव (Receive) करेंगे साथ ही बैठक में होने/अनुपलब्ध होने पर कॉल की जानकारी होने के उपरान्त प्राथमिकता पर सम्बन्धित जनप्रतिनिधि को कॉल बैक करेंगे तथा उनके द्वारा जनसामान्य की समस्याओं के निराकरण हेतु दिये गये सुझावों/अनुरोध का निस्तारण नियमानुसार प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करेंगे।

उपर्युक्त के क्रम में इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विधान सभा की मा० लोक लेखा समिति की बैठक दिनांक 12–01–2021 में दिये गये निर्देश के अनुपालन में विश्वविद्यालय के अधिकारीगण/कर्मचारीगण प्रत्येक दशा में मा० संसद सदस्य एवं राज्य विधान मण्डल के मा० सदस्यों के प्रति शिष्टाचार/अनुमन्य प्रोटोकॉल एवं सौजन्य प्रदर्शन का अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,
(ब्रह्मदेव)
संयुक्त सचिव

संख्या एव दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि कुलपति, समस्त राज्य विश्वविद्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,
(राम जन्म चौहान)
अनु सचिव।

वीर बहादुर सिंह पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर (उ०प्र०)

Email:connectpuregistrar@gmail.com
Tel. No.: (05452) 252244
Web: www.vbspu.ac.in

F:\SO-1 @ 2021/G.O

पत्रांक : 2747/पू.वि.वि./कु०स०/2021 दिनांक : 06 दिसम्बर, 2021

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. वित्तअधिकारी/परीक्षा नियन्त्रक।
2. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण/समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/शिक्षकगण परिसर पाठ्यक्रम।
3. समस्त प्राचार्य/प्रबन्धक, सम्बद्ध महाविद्यालय, वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर।
4. उपकुलसचिव/समस्त सहायक कुलसचिव।
5. वेबमास्टर को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना को विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
6. विशेष कार्याधिकारी, कुलपति, मा० कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
7. समस्त अधीक्षक/प्रभारी/कर्मचारीगण।
8. गार्ड फाइल।

कुलसचिव
30/11/21

सर्वोच्च प्राथमिकता

संख्या-6/2021/1365/90-सं0शि0प0का0/2021-02(सं0शि0)/2015

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।

2- पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश ।

3- समस्त मण्डलायुक्त/ समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।

संसदीय शिष्टाचार/पत्राचार कार्यान्वयन अनुभाग **लखनऊ: दिनांक-11 नवम्बर, 2021**

विषय:- मा0 संसद सदस्य एवं राज्य विधान मण्डल के मा0 सदस्यों के प्रति शिष्टाचार/अनुमन्य प्रोटोकाल एवं सौजन्य प्रदर्शन के अनुपालन के सम्बन्ध में ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के संबंध में मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की ओर से निर्गत संसदीय शिष्टाचार/पत्राचार कार्यान्वयन अनुभाग के शासनादेश संख्या-555/90-सं0शि0प0का0/17-02(सं0शि0)/2015 दिनांक-18-10-2017 एवं तदक्रम में निर्गत क्रमश: शासनादेश संख्या-05/2018/1038/90-सं0शि0प0का0/18-02(सं0शि0)/2015 दिनांक-16-10-2018, शासनादेश संख्या-02/2019/1155/90-सं0शि0प0का0/19-02(सं0शि0)/2015 दिनांक-22-10-2019 एवं इस संबंध में निर्गत अंतिम शासनादेश संख्या-02/2021/311/90-सं0शि0प0का0/2021-02(सं0शि0)/2015 दिनांक-23-03-2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उल्लेखनीय है कि संसदीय शिष्टाचार/पत्राचार कार्यान्वयन अनुभाग के उक्त शासनादेशों में मुख्य रूप से मा0 संसद सदस्य एवं राज्य विधान मण्डल के मा0 सदस्यों के प्रति शिष्टाचार/अनुमन्य प्रोटोकाल एवं सौजन्य प्रदर्शन के अनुपालन के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये है। उक्त के अतिरिक्त यह भी निर्देश दिया गया है कि समस्त अधिकारीगण मा0 जनप्रतिनिधियों के फोन आने पर उनका कॉल रिसीव (Receive) करेंगें तथा बैठक में होने/ अनुपलब्ध होने की दशा में कॉल की जानकारी होने के उपरान्त प्राथमिकता पर मा0 जनप्रतिनिधि को कॉल बैक करेंगें। शासन के संज्ञान में यह आया है कि उक्त शासनादेशों में दिये गये स्पष्ट निर्देशों के वावजूद मा0 संसद सदस्यों/ राज्य विधान मण्डल के मा0 सदस्यों द्वारा जनहित हेतु जनपदों के कतिपय अधिकारियों को फोन किये जाने पर न तो उनका काल रिसीव किया जाता है और न ही कॉल बैक किया जाता है।

3- यह भी अवगत कराना है कि मा0 राज्य विधान मण्डल के मा0 सदस्यों के प्रति शिष्टाचार/अनुमन्य प्रोटोकाल का उल्लघंन किये जाने संबंधी प्रकरणों के संबंध में विचार-विमर्श किये जाने हेतु मा0 संसदीय अनुश्रवण समिति की दिनांक 09 सितम्बर, 2021 को बैठक सम्पन्न हुयी, जिसमें मा0 समिति के अध्यक्ष (मा0 अध्यक्ष विधान सभा उ0प्र0) एवं समिति के मा0 सदस्यगण द्वारा संसदीय शिष्टाचार/पत्राचार कार्यान्वयन अनुभाग के स्तर से निर्गत उक्त शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किये जाने की अपेक्षा की गयी।

कृ0पृ0-2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4- अत: इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपने नियंत्रणाधीन कार्यरत समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें, कि वे प्रत्येक दशा में मा0 संसद सदस्य एवं राज्य विधान मण्डल के मा0 सदस्यों के प्रति शिष्टाचार/अनुमन्य प्रोटोकाल एवं सौजन्य प्रदर्शन का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे तथा अपनी तैनाती के जनपद के संसदीय/ विधान सभा क्षेत्र के सभी मा0 संसद सदस्य, लोक सभा/ राज्य सभा एवं राज्य विधान मण्डल के मा0 सदस्यगण के फोन नं0 अपने कार्यालय/ मोबाईल में **सेव (Save)** करेंगे तथा **मा0** जनप्रतिनिधियों के फोन आने पर तत्काल कॉल **रिसीव (Receive)** करेंगें साथ ही बैठक में होने/ अनुपलब्ध होने पर कॉल की जानकारी होने के उपरान्त प्राथमिकता पर सम्बन्धित जनप्रतिनिधि को कॉल बैक करेंगे तथा उनके द्वारा जनसामान्य की समस्याओं के निराकरण हेतु दिये गये सुझावों/ अनुरोध का निस्तारण नियमानुसार प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करेंगें।

भवदीय,

राजेन्द्र कुमार तिवारी

मुख्य सचिव।

संख्या-6/2021/1365/(1)/90-सं0शि0प0का0/2021-02(सं0शि0)/2015 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0 मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश।
2- निजी सचिव, मा0 संसदीय कार्य मंत्री, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के अवगतार्थ।
3- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश।
4- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
5- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, विधान सभा, उत्तर प्रदेश।
6- विशेष सचिव, विधान सभा समिति (सामान्य) अनुभाग-3
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

जे0पी0सिंह-II

प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।